न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश , ग्वालियर

(85)

प्रकरण क्रमांक / 2011 पुर्नविलोकन Review - 775 - III / 2011

1. मुस. किशोरी बाई पत्नी स्व. अनंत लाल
2. अनिल कुमार तनय स्व. अनंतलाल
3. सुनील कुमार तनय स्व. अनंतलाल

निवासीगण नयागांव (चित्रकूट) तहसील मझगवा जिला सतना

..... आवेदकगण

बनाम

1. नवल किशोर तनय स्व. भैरव प्रसाद निवारी नयागांव चित्रकूट तहसील मझगंवा जिला सतना म.प्र.
2. मुस. शांति देवी पत्नी श्री मदन गोपाल अग्रवाल निवासी पारूल जनरल स्टोर बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री के पास सरला नगर मैहर सतना
3. हीरालाल तनय स्व. श्री मदनगोपाल अग्रवाल निवासी नया गांव (चित्रकूट) तहसील मझगवा जिला सतना
4. जवाहर लाल तनय स्व. श्री मदन गोपाल अग्रवाल
5. गौरीशंकर तनय पुत्र स्व. श्री मदन गोपाल अग्रवाल निवासीगण पारूल जनरल स्टोर बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री के पास सरला नगर मैहर सतना

..... अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक

1095/N/2008 निगरानी में परित आदेश दिनांक 31/3/ 2011 से परिवेदित होकर पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, नयागांव स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 516/ 1 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा , सर्वे क्रमांक 528/ 1 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा , सर्वे क्रमांक 557/ 4 अ रकवा 5 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक 892 /1 क / 1 क रकवा 4 बीघारा 7.5 विस्वा के भूमि स्वामी मृतक भैरव प्रसाद थे भैरव प्रसाद आवेदकगण के साथ रहते थे आवेदकगण द्वारा उनकी जीवन पर्यन्त सेवा सुश्रुषा की गई । मृतक भैरव प्रसाद जो आवेदिका क्रमांक 1 के ससुर थे उनके द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर दिनांक 1/1/ 99 को किशोरी बाई के नाम वसीयत नामा संपादित किया गया । वसीयतनामा में वर्णित सम्पत्ति वसीयतकर्ता को पुत्रों के साथ बंटवारे में अपने जीवन यापन करने के लिए मिली थी।

2. यहकि, भैरव प्रसाद की मृत्यु उपरांत आवेदकगण को सूचना दिये बगैर अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर पंजी क्रमांक 7 पर बारसाना नामान्तरण करा लिया जबकि आवेदकगण को कोई सूचना नही दी गई न ही इश्तहार का प्रकाशन किया गया तथा आवेदकगण के पंजी पर फर्जी हस्ताक्षर करके वारिसाना नामान्तरण अनावेदकगण द्वारा करा लिया गया ।

3. यहकि, आवेदकगण को नामान्तरण की जैसे ही जानकारी हुई तो उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 40/ अपील/ 99– 2000 पर दर्ज की गई विधिवत सुनवाई उपरांत वसीयतनामा को प्रमाणित मानते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 775–तीन/11 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.8.16	आवेदक की ओर से श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1095–चार/2008 आदेश दिनांक 31.3.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 775–तीन/2011 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1095–चार/2008 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 31.3.2011 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 775–तीन/2011 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य